मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सिग्नेचर बिल्डिंग, टावर–2, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्या–54/2019 दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 24,2019

सेवा में,

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

विषय– अवमानना अप्लीकेशन(सिविल)संख्या–5621/2011, बृजेन्द्र सिंह यादव बनाम धर्मवीर सिंह व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या:1464/6–पु0–11–19–147रिट/2019 दिनांक 06.12.2019 द्वारा मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु शासन स्तर पर लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया है, जो निम्नवत् है:–

(1) जनपद न्यायालय व अन्य संगत मा0 न्यायालयों से प्राप्त आदेशों का प्रत्येक दशा में समयबद्ध रूप से नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(2) पुलिस अधीक्षक स्तर पर आयोजित की जाने वाली क्राइम मीटिंग्स में मा0 न्यायालयों के आदेशों के सम्बन्ध में निगरानी की जाय तथा उसकी मासिक रिपोर्ट अपर पुलिस महानिदेशक, जोन को समयबद्ध रूप से प्रेषित की जाये।

(3) अपर पुलिस महानिदेशक, जोन पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त रिपोर्टो की मासिक समीक्षा कर विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक को आख्या प्रेषित करेंगें।

(4) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक से प्राप्त आख्याओं की मासिक समीक्षा की जायगी तथा समीक्षा के दौरान आदेशों के समयबद्ध कियान्वयन में लापरवाही पाये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) यदि किसी प्रकरण में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो तो उक्त प्रकरण के संक्षिप्त विवरण सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव/आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाये।

अतः आपको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि मा0 जनपद न्यायालयों, मा0 उच्च न्यायालयों, मा0 सर्वोच्च न्यायालय व अन्य मा0 न्यायालयों से प्राप्त आदेशों/निर्णयों का प्रत्येक दशा में समयबद्ध रूप से निर्धारित समय सीमा के अन्दर नियमानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्धारित समयावधि में कार्यवाही/आदेश का अनुपालन न करने वाले उत्तरदायी/दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

प्रकरण अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है, कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–(1)अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन को कृपया अवलोकनार्थ।

(2)निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित–

1–रागरत परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

3–पुलिस अधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वह सभी जोन से प्राप्त मासिक सूचना अपर पुलिस महानिदेशक, लो0शि0, उ0प्र0 के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत करें।

Scanned by CamScanner